

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

प.5(5)गृह-1 / 2024 (20274)

जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षरित तिथि

आदेश

मा0 न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकरणों में पारित निर्णयों की पालना एवं पारित दण्डादेशों को अपास्त किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 28 के अन्तर्गत गठित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 18.09.2026 की अभिशंशाओं के अनुसार राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की विभिन्न वर्षों के जारी पदोन्नति आदेशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

वर्ष 2020-21

मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एसबी क्रिमिनल अपील नं0 2324/2019 एवं 2342/2019 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.02.2025 द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.09.2019 को खारिज एवं अपास्त करते हुए श्री बृजेश कुमार मीणा को दोषमुक्त किये जाने तथा उक्त निर्णय के विरुद्ध विधि विभाग द्वारा एसएलपी दायर नहीं करने का निर्णय लिया जाने के कारण श्री बृजेश कुमार मीणा/नन्दकिशोर मीणा को पदोन्नत किया जाता है।

श्री मीणा की वरिष्ठता श्री दिनेश कुमार/किस्तुरचन्द (एससी) के नीचे तथा श्री अनूप सिंह/शैतान सिंह के उपर निर्धारित की जाती है। एसटी वर्ग की रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण एसटी वर्ग के अंतिम चयनित अधिकारी श्री भैरूलाल/देवीलाल का चयन निरस्त किया जाता है।

वर्ष 2021-22

श्री भैरूलाल/देवीलाल का वर्ष 2020-21 से चयन निरस्त किये जाने के कारण वर्ष 2021-22 में पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री लक्ष्मण लाल/माडूराम के नीचे तथा श्री अमर सिंह/उदय सिंह के उपर निर्धारित की जाती है।

एसटी वर्ग की रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण एसटी वर्ग के अंतिम चयनित अधिकारी श्री राजूलाल/कन्हैयालाल का चयन निरस्त किया जाता है।

वर्ष 2022-23

श्री राजूलाल/कन्हैयालाल का वर्ष 2021-22 से चयन निरस्त किये जाने कारण वर्ष 2022-23 में चयन किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री जीवन लाल/खूबचन्द के नीचे तथा श्री घनश्याम मीणा/प्यारेलाल मीणा के उपर निर्धारित की जाती है।

एसटी वर्ग की रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण इस चयन सूची से एसटी वर्ग के अंतिम चयनित अधिकारी श्री मनोहर लाल मीणा/गंगा सहाय का चयन निरस्त किया जाता है।

महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 2652-55 दिनांक 13.08.2024 के द्वारा श्री मिट्ठू लाल/हमेराजी को दो वार्षिक वेतन वृद्धि भविष्य प्रभाव से अवरुद्ध करने के दण्ड से दण्डित किये जाने के फलस्वरूप इनकी सील्ड कवर अभिशंशा को निरस्त किये जाने के कारण प्राप्त रिक्ति के विरुद्ध श्री चित्रगुप्त महावर/रमेश चन्द (एससी) को पदोन्नत किया जाता है। श्री महावर की वरिष्ठता श्री राजकुमार राजौरा/बाबूलाल (एससी) के नीचे निर्धारित की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manjeesh Goyal
Designation : Special Secretary To
Government
Date: 2026.10.19 16:39:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
25118029

M e-Sign



वर्ष 2023-24

श्री मनोहर लाल मीणा/गंगा सहाय मीणा का वर्ष 2022-23 से चयन निरस्त किये जाने के कारण वर्ष 2023-24 में चयन किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री दीपक जोशी/रूपनारायण जोशी (सामान्य) के नीचे तथा श्री ओम प्रकाश मीणा/बद्री प्रसाद मीणा (एसटी) के उपर निर्धारित की जाती है।

एसटी वर्ग की रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण इस चयन सूची से एसटी वर्ग के चयनित अंतिम अधिकारी श्री धर्म सिंह मीणा/मेघाराम (एसटी) का चयन निरस्त किया जाता है।

श्री चित्रगुप्त महावर/रमेश चन्द (एससी) को वर्ष 2022-23 में पदोन्नत किये जाने के कारण वर्ष 2023-24 से नाम विलोपित किया जाता है। श्री गुलाबाराम/गोवर्धन राम (एससी) को पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री सोनचन्द वर्मा/भगवान सहाय (एससी) के नीचे निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2024-25

श्री धर्मवीर सिंह मीणा/मेघाराम का वर्ष 2023-24 से चयन निरस्त किये जाने के कारण वर्ष 2024-25 में चयन किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री गिराज गर्ग/बालाप्रसाद (एससी) के नीचे तथा श्री करणी सिंह/इन्द्र सिंह के उपर निर्धारित की जाती है।

एसटी वर्ग की रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण इस चयन सूची से एसटी वर्ग के अंतिम चयनित अधिकारी श्री राजकुमार मीणा/ख्याली लाल मीणा का चयन निरस्त किया जाता है।

श्री गुलाबा राम/गोवर्धन राम (एससी) को वर्ष 2023-24 में पदोन्नत किये जाने के कारण इस चयन सूची से इनका नाम विलोपित किया जाता है।

श्री मिट्ठू लाल/हमेराजी (एससी) को पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री विरेन्द्र पाल सिंह/सोहन लाल (सामान्य) के नीचे तथा श्री शीशराम मीणा/सुणाराम के उपर निर्धारित की जाती है।

श्री अचलदान रत्नू/किशन दान को वर्ष 2024-25 में पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा/गोपीराम (सामान्य) के नीचे तथा श्री प्रमोद कुमार शर्मा/विनोद कुमार (सामान्य) के उपर निर्धारित की जाती है।

सामान्य की रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण इस चयन सूची से सामान्य वर्ग के चयनित अंतिम अधिकारी श्री रोहित श्रीवास्तव/सी.बी. श्रीवास्तव (सामान्य) का चयन निरस्त किया जाता है।

वर्ष 2025-26

श्री राजकुमार मीणा/ख्याली लाल मीणा का वर्ष 2024-25 से चयन निरस्त किये जाने के कारण वर्ष 2025-26 में चयन किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री राजेश बाफना/पारसमल (सामान्य) के नीचे तथा श्री पुरुषोत्तम महरिया/बिहारी लाल (एससी) के उपर निर्धारित की जाती है।

एसटी वर्ग की रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण इस चयन सूची से एसटी वर्ग के चयनित अंतिम अधिकारी श्री रामनिवास मीणा/फौजीराम मीणा का चयन निरस्त किया जाता है।

महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 137-40 दिनांक 15.01.2026 द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार खण्डेलवाल/राधेश्याम के विरुद्ध पारित एक वार्षिक वेतन वृद्धि बिना भविष्य प्रभाव के अवरुद्ध करने के दण्ड को परिनिन्दा के दण्ड में परिवर्तित करने तथा परिनिन्दा का दण्ड वर्ष 2025-26 में बाधक नहीं होने के कारण श्री राजेन्द्र कुमार खण्डेलवाल/राधेश्याम को पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री अजयकान्त

Signature Not Verified

RajKaj Ref No.:
25118029

M e-Sign

Digitally signed by Manjeesh Goyal
Designation : Special Secretary To
Government
Date: 2026.10.19 16:39:41 IST
Reason: Approved

रतूड़ी/श्री अनुसूया प्रसाद (सामान्य) के नीचे तथा श्री संजीव मैचू/इन्द्रराज सिंह (सामान्य) के उपर निर्धारित की जाती है।

सामान्य वर्ग की रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण श्री सुरेश चौधरी/पूनाराम (सामान्य) की सीलड कवर अभिशंषा को निरस्त किया जाता है।

श्री अचलदान रत्नू/किशन दान को वर्ष 2024-25 में पदोन्नत किये जाने के कारण वर्ष 2025-26 से इनका नाम विलोपित किया जाता है। श्री रोहित श्रीवास्तव/सी.बी. श्रीवास्तव का वर्ष 2024-25 से चयन निरस्त किये जाने के कारण वर्ष 2025-26 में चयन किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री रवीन्द्र कुमार/लीलूराम (एससी) के नीचे तथा श्री मुकेश शर्मा/महावीर प्रसाद (सामान्य) के उपर निर्धारित की जाती है।

मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13919/2024 द्वारा श्री सुखराम चोटिया बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2025-26 में 26.11.2024 की पालना में श्री सुखराम चोटिया की वरिष्ठता में परिवर्तन के परिणामस्वरूप श्री सुखराम चोटिया/श्याम सुन्दर चोटिया को पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री देरावर सिंह/भाखर सिंह के नीचे तथा श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा/कैलाश चन्द शर्मा के उपर निर्धारित की जाती है।

सामान्य वर्ग की रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण इस चयन सूची से सामान्य के अंतिम चयनित अधिकारी श्री अनिल कुमार मूण्ड/कांशीराम का चयन निरस्त किया जाता है।

यह पदोन्नति आदेश मा0 न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन है।

पदोन्नत अधिकारीगण अग्रिम आदेशों तक वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे तथा उक्त अधिकारियों को रिक्ति दिनांक से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर तथा कार्यग्रहण दिनांक से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी/मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

Signature Not Verified

Digitally signed by Manjeesh Goyal
Designation : Special Secretary To
Government
Date: 2026.10.19 16:39:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
25118029

M e-Sign